समक्ष माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

भागीरथ तनय मक्के दर्जी (फौत) द्वारा वारसान

1- मुस0 रामकली आयु 55 साल तनम वेवा स्व0 भागीरथ दर्जी

2- महेश तनय स्व0 भागीरथ दर्जी आयु 30 साल

3- सुरेश तनय स्व0 भागीरथ दर्जी आयु 25 साल

4- रज्जन तनय स्व0 भागीरथ दर्जी आयु 20 साल

5- पप्लू आयु 17 साल नावालिग वली माँ श्रीमति रामकली
पत्नि स्व0 भागीरथ दर्जी
सभी निवासी ग्राम भवानीपुर तहसील लौड़ी
जिला छतरपुर म0प्र0 — — निगरानीकर्तागण

R. 499-II/03

:- बनाम -:

1- लाल दिवान तनय नोनेलाल अहीर
साकिन बरबस्पुर मजरा भवानीपुर
तहसील लौड़ी जिला छतरपुर म0प्र0

2- म0प्र0 शासन — — अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 सं0

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्तागण न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग सागर के आदेशदिनांक 12-12-2002 जो उन्होने निगरानी प्रकरण क्रमांक 442अ/6 सन् 98-99 पक्षकारान भागीरथ बनाम लाल दिवान में पारित किया है उससे दुखित होकर निम्न तथ्यो एंव आधारो सहित अन्य आधारो पर अपनी यह निगरानीइस माननीय न्यायालयमे प्रस्तुत कर रहे है-:

:- प्रकरण के तथ्य -:

1- यहकि, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मूल निगरानीकर्ता भागीरथ को ग्राम भवानीपुर मे स्थित भूमि खसरा नंबर 435 रकवा 0-575 हेक्टर खसरा नंबर 836/1, रकवा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 499–दो / 2003 **जिला** –छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभषक आदि के हस्ताक्षर
3.02.16	आवेदक के अधिवक्ता एवं आवेदक कोई उपस्थित नहीं । वह लगभग 5 पेशियों से अनुपस्थित रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक को प्रकरण में आगे चलाने की कोई रूचि नहीं है। प्रकरण 2003 से लंबित है । समय समय पर आवाज लगवाई गई उसके बाद भी कोई उपस्थित नहीं हुआ । अतः प्रकरण में रूचि नहीं होने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । पक्षकार सूचित हों । राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे। सदस्य	